"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011— चैत्र 11, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इरफान खान वल्द मो. एसान खान आयु 34 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. - 4 -एच, सड़क एवेन्यू बी, सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड भिलाई में आपरेटर के पद पर पदस्थ हूं. यह कि मेरे विभागीय अभिलेखों में अंग्रेजी में मेरा नाम ERFAN KHAN त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जिसे सुधार कर IRFAN KHAN किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे इरफान खान (IRFAN KHAN) वल्द मो. एसान खान के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
इरफान खान ERFAN KHAN वल्द-मो. एसान खान निवासी-क्वा. नं. - 4-एच सड़क एवेन्यू बी, सेक्टर - 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	इरफान खान (IRFAN KHAN) वल्द-मो. एसान खान निवासी-क्वा. नं. - 4-एच सड़क एवेन्यू बी, सेक्टर - 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शंकर लाल वर्मा आ. स्व. अलख राम वर्मा, निबासी-46/के. रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं बी. एस. पी. भिलाई में एस. एम. एस.-I विभाग में आपरेटर क्रेन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे पुत्र का सही नाम तुषार वर्मा है, जो कि त्रुटिवश मेरे मेडिकल कार्ड व उसके स्कूल रिकार्ड में "अवि वर्मा" दर्ज हो गया है जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को तुषार वर्मा आ. शंकर लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अवि वर्मा आ. श्री शंकर लाल वर्मा निवासी- 46/के. रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तुषार वर्मा आ. श्री शंकर लाल वर्मा निवासी- 46/के. रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोरध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद, उम्र 34 साल, निवासी-ग्राम डूंडेरा पो.- उतई जिला - दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरा पूर्व नाम मोरध्वज वर्मा मेरे पेन कार्ड व कुछ अभिलेखों में दर्ज हो गया है. जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे मोरध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोरध्वज वर्मा आ. श्री विशकरण प्रसाद निवासी- ग्राम-डूंडेरा, पो.-उतई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मोरध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद निवासी- ग्राम-डूंडेरा, पो.-उतई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2011

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक /270/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-2.— आवेदक अध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी पदधिकारी "मां डिडिनेश्वरी मंदिर ट्रस्ट, मल्हार" निवासी ग्राम-मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छ. ग. के द्वारा "मां डिडिनेश्वरी मंदिर ट्रस्ट, मल्हार" स्थान ग्राम मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	" मां डिडिंनेश्वरी मंदिर ट्रस्ट, मल्हार " ग्राम मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा मल्हार बचत खाता क्रमांक 2022622658 में राशि 898528/00 एवं खाता क्रमांक 1283 में 472488/00 रुपये जमा है. सोना-चांदी अनुमानित मूल्य पांच लाख रुपये की, बर्तन पचास हजार रुपये का, तांबा चालीस हजार रुपये का, पूजा सामान दस हजार रुपये का, स्पीकर (बाक्स, यूनिट, माईक) पुस्तकाय पच्चीस सौ रुपये का, फर्नीचर (कुर्सी, टेबल, बेंच, तखत) बिजली सामान (झालर, बल्ब, ट्यूबलाईट, एफ़. सी. एल., मरकरी, रोटर, फ्रीज, जनरेटर,) नल (दो बोर, 1 सबमर्शिबल, 2 टल्लू पंप) स्टेश्नरी लगभग पन्द्रह हजार रुपये का, पंखा (सिलिंग फेन, स्टेन फेन, एक्झास फेन) कपड़ा (गद्दा, तकिया, खोल, सहित दरी) सांस्कृतिक वाद्य, (हारमोनियायम, तबला, डग्गा, रामायण, मंजीरा अन्य).
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर स्थित भूमि ख. नं. 1469/1 रकबा 0.142 हे. एवं ख. नं. 1469/2 रकबा 0.849 हे. भूमि के सामने का भाग जो मेन रोड जुनवानी तक फैला है. परिसर में मां डिडिनेश्वरी देवी का मंदिर, शिव मंदिर, साईबाबा मंदिर, निर्माणाधीन भैरव बाबा मंदिर, पिपेलेश्वर हनुमान मंदिर, ज्योतिकलश भवन (आठ कमरा) भोग शाला, आचार्य कक्ष, जनरेटर कक्ष, बोर, स्टक कक्ष, चौकीदार कक्ष, रसोई कक्ष, कार्यालय, बैठक कक्ष, गार्ड कक्ष, नारियल कक्ष, बरामदा टीन शेड, गार्डन, लघुशंका कक्ष, ज्वारा कक्ष, विद्युत कक्ष, मंदिर के बाहर भाग श्रीमद्भागवत मंच, सांस्कृतिक मंच, धर्मशाला, 1 हाल, 1 कमरा, 1 बरामदा, 1 शौचालय एवं बाथरूम, देवी की मूर्ति, बटुक भैरव की मूर्ति, शिवलिंग, साईबाबा, हनुमान जी पिपलेश्वर हनुमान का मूर्ति एवं अन्य मूर्तियां है.

सौम्या चौरसिया,
पंजीयक.

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्रमांक/68/उपंरा/परि./2011.—वस्तुतः पंचशील गृह निर्माण सह. समिति मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 185 दिनांक 11-12-90 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/33/उपंरा/परि./2010, दिनांक 24-1-2011 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए पंचशील गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 185 जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत श्री पी. एस. लोन्हारे व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23-2-11 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एस. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा (पखांजूर) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/परिसमापक/2010-11/53.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा-70 के तहत उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अंतएव मैं, ए. आर. नेताम सहकारिता विस्तार अधिकारी/परिसमपक कोयलीबेड़ा पखांजूर एतद्‌द्वारा यह सूचना जारी करता हूं. कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था व्यक्ति शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन (पन्द्रह दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति की भी किस प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पत्ति यदि किसी व्यक्ति संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पत्ति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं ज्ञप्ति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति संस्था की होगी.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. (3)	परिसमापन आदेश क्र. दि (4)
1.	शक्ति महिला बहु. सह. समि. मर्या. पी. व्ही.-125	435/29-12-97	730/16-11-09
2.	महिला उन्नयन बहु. उद्‌देशीय सह. समि. पी. व्ही.-104	464/07-12-02	730/16-11-09
3.	अमर ज्योति महिला बहु. उद्‌देशीय सह. समि. पखांजूर	469/22-05-03	--,,--
4.	बेला महिला बहु. उद्‌देशीय सह. समि. पी. व्ही.-40	470/06-06-03	--,,--
5.	महिला बहु. उद्‌देशीय सह. समि. पी. व्ही.-77	492/23-11-04	--,,--
6.	ग्रामीण बहु. उद्‌देशीय सह. समि. पानावार	494/27-11-04	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	बस्तर ग्रामीण युवा विकास सह. समि. मर्या., बांदे	340/19-11-94	730/16-11-09
8.	परलकोट युवा विकास सह. समि. मर्या., पखांजूर	341/02-01-95	--,,--
9.	बहु उद्देशीय सह. समि. मर्या., परतापुर	329/25-03-64	722/09-11-2009
10.	बहु उद्देशीय सह. समि. मर्या., कडमें	482/25-03-66	--,,--
11.	ग्रामीण बहु उद्देशीय सह. समि. मर्या., कोयलीबेड़ा	428/25-03-65	--,,--

ए. आर. नेताम,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारिता संस्थाएं, अम्बिकापुर (छ. ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/100.—खनिज सहकारी समिति मर्यादित डिगमा पंजीयन क्रमांक 1921 विकासखण्ड अंबिकापुर को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के तहत श्री एच. एस. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी अंबिकापुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापक द्वारा परिसंमापन की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तत्संबंधी अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है.

अत: मैं, बसंत कुमार, प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अंबिकापुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-7-5/सह./2436 पुनर्गठन अधि./2000 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा पठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 क्रमांक (7) की धारा 18 (1) के तंहत् खनिज सहकारी समिति मर्यादित डिगमा पंजीयन क्रमांक 1921 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बसंत कुमार
प्र. जिला उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.